

01

प्रेस नोट दिनांक 20-09-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अनुपालन में तथा श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में श्री सभाशंकर यादव, थानाध्यक्ष थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में चिल्हिया पुलिस द्वारा दिनांक 20.09.2020 को मु.अ.सं. 136/2020 धारा 354(क) भा.द.वि. व 9/10 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अनिल खरविंद पुत्र मिठाई लाल खरविंद साकिन सिरवत थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर आज दिनांक 20.09.2020 को रिमाण्ड हेतु मा0 न्यायालय सिद्धार्थनगर रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01-उ0नि0 श्री उपेन्द्र राय, थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर |

2-कांस्टेबल शिवविलास मिश्रा, थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर |

02

प्रेस नोट दिनांक 20-09-2020

श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा थाना इटवा सिद्धार्थनगर में इटवा सर्किल का अर्दली कक्ष/समीक्षा गोष्ठी कर प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये।

श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 20-09-2020 को थाना इटवा सिद्धार्थनगर में इटवा सर्किल के थाना-इटवा, मिश्रौलिया एवं गोलहौरा का अर्दली कक्ष/समीक्षा गोष्ठी कर सर्किल की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी तथा प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निम्न आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये।

महोदय द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

1. 06 माह से अधिक अवधि से लंबित अभियोगों का विवरण।
2. आईटी अधिनियम के लंबित अभियोगों का विवरण।
3. महिला अपराध (धारा 354,363,366,376 भादवि0 का विवरण)
4. धोखाधड़ी(419,420 भादवि0) के लिए लंबित अभियोगों का विवरण।
5. IGRS पोर्टल पर लंबित मामलों का विवरण।
6. माननीय न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु शेष आरोप-पत्र / अंतिम रिपोर्ट का विवरण।
7. उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली -2020 के स्तम्भ-2 की धारा 3,4,5 के उल्लंघन से संबंधित कार्यवाही का विवरण।
8. सार्वजनिक स्थानों पर अवैध शराब/मदिरा-पान करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
9. वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
10. गिरफ्तारी हेतु शेष चल रहे वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
11. टाप-10 अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
12. चिन्हित गैंग के पंजीकरण एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही के बारे में जानकारी की गयी।
13. भूमि-विवाद प्रकरण/थाना स्तर पर शिकायती प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात महोदय द्वारा विवेचनाओं के निस्तारण, पुराने मालों के निस्तारण, जनशिकायत द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये। शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, साक्ष्य के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही, निरोधात्मक कार्यवाही में गुण्डा अधिनियम, गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने आदि बिन्दुओं पर महोदय द्वारा निर्देश दिया गया।

03

प्रेस नोट दिनांक 20-09-2020

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्स्टा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 20-09-2020 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 173 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 71 वाहनों का चालान कर ₹ 59,100/-शमन शुल्क वसूल किया गया।